सं.-9/क्रय 2-37/97-

बिहार सरकार

स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग

संकल्प

राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में निर्दिष्ट (Specific) दवाएँ उपलब्ध कराने के लिए इन दवाओं के नाम, आपूर्तिकर्ता फर्म तथा कीमत का निर्धारण, निविदा निकाल कर राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा किया गया है। अनुमोदित सूची सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा जिला स्वासयि समिति काअलग से उपलब्ध करायी जायेगी। फलस्वरूप इन दवाओं के क्रय के लिए उन्हें अलग से निविदा निकालने या क्रय समिति की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक/अधीक्षक अपनी आवश्यकता (1 वर्ष के लिए) का आकलन कर स्थानीय सिविल सर्जन को भेज देंगे, सिविल सर्जन जिला के लिए दवाओं की आवश्यकता की आकलन कर संबंधित कंपनी को भेज देंगे। कंपनी से दवा आपूर्ति की तिथि की सूचना मिलने पर पटना में कंपनी के डिपो से बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भुगतान कर दवा प्राप्त की जा सकेगी।

(2) दवा क्रय की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिला स्वास्थ्य समिति को सिविल सर्जन के लिए दवा/शल्य सामग्रियों/अन्य चिकित्सकीय सामानों के क्रय के लिए Preocurement एजेन्सी घोषित किया जाय। राज्य स्वासयि समिति द्वारा निर्धारित फर्म से निर्धारित दर पर समिति की उपलब्ध राशि से जिला स्वास्थ्य समिति,दवा एवं चिकित्सीय सामग्रियों का क्रय कर सिविल सर्जन को उपलब्ध करा दें, उपरोक्त आपूर्ति के विरुद्ध सिविल सर्जन जिला स्वास्थ्य समिति के नाम से कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करेंगे, विपत्र पारित होने पर जिला स्वास्थ्य समिति के नाम से बैंक ड्राफ्ट तैयार होगा और समिति को राशि का भुगतान हो जायेगा। सिविल सर्जन से प्रतिपूर्ति होने पर जिला स्वास्थ्य समिति राशि उसी मद में जमा कर देगी जिस मद से क्रय के लिए व्यय किया गया था।

(3) वित्त (वाणिज्य कर) विभाग, पटना के पत्रांक बिक्री कर/संशोधन-01/06 1778 पटना, दिनांक 10.5.06 के द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि व्यवसाय करने वाली संस्था को ही वाणिज्य कर विभाग में निबंधन कराना है, व्यवसायी का अर्थ सामग्रियों की बिक्री करने वाली एजेन्सी से है। चूँकि जिला स्वास्थ्य समिति उपरोक्त सामग्रियों की बिक्री नहीं करेगी बल्कि राज्य सरकार के अस्पतालों में रोगियों के उपचार के लिए दवाएँ/चिकित्सकीय सामग्रियाँ क्रय कर सिविल सर्जन को उपलब्ध करायेगी, इसलिए जिला स्वास्थ्य समिति व्यवसायी की श्रेणी में नहीं आयेगी। जिला स्वास्थ्य समिति के तदनुसार वाणिज्य कर विभाग में निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

उपरोक्त व्यवस्था में राज्य सरकार (वाणिज्य कर विभाग) को राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा, प्रासंगिक पत्र की कंडिका-8 में यह स्पष्ट किया गया है कि आपूर्तिकर्ता भले ही MRP से कम कीमत पर सामग्रियाँ उपलब्ध कराये मगर MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) के अनुरूप ही उन्हें बिक्री कर जमा करना होगा। एक सामान की बिक्री कर जमा करना होगा। एक सामान की बिक्री के लिए राज्य में एक बार ही बिक्री करदेना होगा न कि अलग-अलग स्तरों पर चूँकि सभी फर्म अपना डिपो बिहार (पटना) में खोलेंगे और इस निमित्त वाणिज्य कर विभाग या इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में निबंधन करायेंगे, जिला स्वास्थ्य समितियों को वे जो दवा बिक्री करेंगे उस पर MRP के हिसाब से कर

वसूल कर वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करेंगे, इसलिए राज्य जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा दवा के क्रय एवं अस्पतालों में इनकी आपूर्ति से वाणिज्य कर के रूप में वाणिज्य कर विभाग/राज्य सरकार को राजस्व की कोई क्षति नहीं होगी।

(4) उपरोक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सभी जिला स्वास्थ्य समितियों को, स्थानीय सर्जेसी (जिला में राज्य सरकार के सभी अस्पतालों) के लिए दवा इत्यादि के क्रय के लिए Procurement एजेंसी घोषित करने का निर्णय लिया है और उन्हें प्राधिकृत किया है कि फलैक्सी पूल फंड में उपलब्ध राशि से, सिविल सर्जन से प्राप्त व्यादेश पर, जो राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्धारित फर्म, सामग्री एवं दर के अनुरूप होगी, संबंधित फर्म से चिकित्सीय सामग्रियों का जिला स्वास्थ्य समिति क्रय करेगी, क्रय के बाद ये सामग्रियों जिला स्वास्थ्य समिति की भंडार-पंजी में दर्ज होगी और विधिवत सिविल सर्जन/सर्जेन्सी को हस्तगत की जायेगी। सामग्रियाँ उपलब्ध होने के 15 दिनों के अंदर कोषागार से राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट द्वारा सिविल सर्जन जिला स्वास्थ्य समिति को भुगतान कर देंगे। पूरे सम-व्यवहार (Transaction) में चूँकि राजस्व की कोई क्षति नहीं होती है, क्रय संबंधी सभी औपचारिकताओं का निर्वहन होता है, इसलिए सिविल सर्जन द्वारा प्रसतुत विपत्र को पारित करने में कोषागार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(5) सिविल सर्जन तथा जिला स्वास्थ्य समिति का यह दायित्व होगा कि औषधि के क्रय के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त राशि/आवंटन से अधिक का क्रय नहीं किया जायेगा।

(6) उपरोक्त व्यवस्था में वित्त (वाणिज्य कर) विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति है।

(7) उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जायेगी।

आदेश- सरकारी प्रेस गुलजारबाग के अधीक्षक को आदेश दिया जाता है कि राज्य गजट के असाधारण अंक में इस संकल्प का प्रकाश कर उसकी प्रति 500 प्रतियाँ अवलिम्ब उपलब्ध करा देंगे।

ह./-
(परशुराम मिश्रा)
सरकार के उप सचिव
स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग

ज्ञापांक- 764(9)

पटना, दिनांक 4.7.06

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग/वित्त (वाणिज्य कर) विभाग/उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 764(9) पटना, दिनांक 4.7.06

प्रतिलिपि- सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक/सभी सिविल सर्जन/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अधीक्षक/निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/दरभंगा/मुख्य मलेरिया पदाधिकारी, पटना/उपाधीक्षक, सभी अनुमंडल अस्पताल/सहायक निदेशक फाईलेरिया, पटना/राज्य कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, बिहार पटना/ परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स समिति, पटना/ उपनिदेशक, यक्ष्मा, बिहार पटना/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना/सभी जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 764(9) पटना, दिनांक 4.7.06

प्रतिलिपि- सचिवालय स्तर के सभी पदाधिकारी/निदेशालय स्तर के सभी पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- 764(9) पटना, दिनांक 4.7.06

प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना/निदेशाक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

सरकार के उप सचिव